

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची में
सी०एम०पी० संख्या-211 / 2019

जमरूद्दीन अंसारी

.....अपीलार्थी / याचिकाकर्ता

बनाम्

सलामत अंसारी एवं अन्य

..... विपक्षीगण

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री (डॉ०) एस०एन० पाठक

अपीलार्थी के लिए : श्री शफीक रहमान, अधिवक्ता

विपक्षीगण के लिए :

04 / 06.12.2019 यह सिविल विविध याचिका को एस०ए० सं०-338 / 2016 की अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापन हेतु दायर किया गया है जिसे इस न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 19.02.2019 द्वारा गैर-अभियोजन के कारण खारिज कर दिया गया है।

अपील की पुनःस्थापन के लिए सिविल विविध याचिका के पैरा-1 और 5 में अपीलकर्ता द्वारा पर्याप्त कारण दिखाया गया है।

यदि एस०ए० सं०-338 / 2016 को अपनी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाय तो विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता को कोई आपत्ति नहीं है।

पार्टियों के उचित सबमिशन के मद्देनजर, सी०एम०पी० सं०-211 / 2019 की अनुमति है।

एस०ए० सं०-338 / 2016 को इसकी मूल फाइल में पुनःस्थापित किया जाए।

(डॉ० एस०एन० पाठक, न्याया०)